



2026:AHC:67204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण दोषपूर्ण संख्या- 66 वर्ष 2026

सुमिता सिंह पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक शुक्ला, शिवम मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 87

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरी

आपराधिक प्रकीर्ण विलंब माफी आवेदन संख्या-1 वर्ष 2026 पर आदेश

1. यह एक आवेदन है जिसमें पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी मांगी गई है।
2. विलंब माफी आवेदन में उल्लिखित आधार पर्याप्त पाया गया है।
3. तदनुसार, देरी को माफ कर दिया जाता है। इस आवेदन की अनुमति है।

आपराधिक पुनरीक्षण पर आदेश

1. पुनरीक्षणकर्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना।
2. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण उस राहत के साथ दायर किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। प्रार्थना खंड नीचे चित्रित किया गया है: -

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस आवेदन की अनुमति देने और धारा 125 द०प्र०स० के तहत मामले संख्या-683 वर्ष 2023(सुमिता सिंह बनाम विकास कुमार) के मामले में



अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या-5, गाजियाबाद द्वारा पारित 19-08-2025 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को बढ़ाने/संशोधित करने की कृपा करे, जिसके तहत अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन की अनुमति दी गई और धारा 125 द०प्र०स० के तहत आदेश की तारीख से मामले के अंतिम निपटान तक पुनरीक्षण को केवल 4000/- रुपये प्रति माह का पंचाट दिया गया, जो पुनरीक्षणकर्ता के मासिक रखरखाव के लिए पर्याप्त नहीं है।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता के मासिक अंतरिम भरण-पोषण भत्ते को बढ़ाने की कृपा कर सकता है ताकि वे खुद को बनाए रख सकें; अन्यथा, पुनरीक्षणकर्ता को अपूरणीय क्षति और चोट का सामना करना पड़ेगा। और/या इस तरह के अन्य और आगे के आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।

3. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण को दिनांक 19.08.2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण दिया गया है, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2-पति को प्रति माह 4,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि पति मर्चेट नेवी में कार्यरत है और प्रति माह 1,00,000/- रुपये से अधिक वेतन कमा रहा है; इसलिए, इस प्रकार प्रदान की गई भरण-पोषण की राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है और पति की आय के अनुरूप नहीं है।

4. इस न्यायालय ने पाया कि धारा 125 द०प्र०स० के तहत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर आवेदन अभी भी अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। तदनुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और अनावश्यक स्थगन दिए बिना, उक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

5. यदि प्रतिपक्षी संख्या-2 (पति) धारा 125 द०प्र०स० के तहत कार्यवाही में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो संबंधित अदालत एकपक्षीय कार्यवाही में आगे बढ़ने और उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी, अपनी संतुष्टि दर्ज करने पर कि प्रतिपक्षी संख्या-2 (पति) को सम्मन और नोटिस विधिवत तामील किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. धारा 125 दंप्रंस के तहत दायर लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक पति द्वारा अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान किया जाएगा।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस आपराधिक पुनरीक्षण का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 31, 2026

डीकेएस

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी)

Translated Version. Not for Legal Use.